04—05—22	अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा सर्वप्रथम प्राथमिक आपत्ति पर जवाब/बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/19 के किला नम्बर 20 ता 22 की 03 बीघा कमाण्ड भूमि अपीलांट् के मुरब्बें में स्थित भूमि है, जिसके आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट् का बनता है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना दिये ही वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों में किसी भी काश्तकार के मुरब्बें में निहित भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार उसी मुरब्बें के धारित भूमिधारक को होता है, ऐसी स्थिति में अपीलांट् अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार होने से ही बतौर हितबद्ध/पीड़ित पक्षकार	

अपीलांट् द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विभिन्न उच्चतर न्यायालयों द्वारा पारित न्यायिक दृष्टांतों में यह अभिलिखित किया गया है कि हितबद्व/पीडित पक्षकार द्वारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के बिना भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा न्यायालय का ध्यान आरआरटी 2019 पार्ट II पेज 1206 व आरआरडी 2016 पेज 693 की तरफ आकर्षित करवाया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा मियांद के संबंध में कथन किया गया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–03–2022 के विरूद्व अपीलांट् द्वारा अपील दिनांक 20–04–22 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में तत्समय अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी। अपीलांट् को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 19–04–22 को प्राप्त हुई जब वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने स्मालपेच आवंटन के आवेदन पर कार्यवाही कापता करने गया। तब अपीलांट् को बताया गया कि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को आवंटित हो चुकी है। अपीलांट् द्वारा दिनांक 19–04–22 को ही नकल प्राप्त करते हुए बिना किसी देरी के दिनांक 20–04–22 को उक्त अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद प्रस्तुत की गई है। अतः अपीलांट् की अपील जानकारी के दिन से अन्दर मियांद शुमार की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1992 पेज 17, आरआरडी 1992 पेज 117–118, आरबीजे 2018 पेज 279, आरबीजे 2000 पेज 329, आरआरडी 2008 पेज 842 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/19 के किला नम्बर 20 ता 22 की 03 बीघा कमाण्ड भूमि के आवंटन की मांग की गई। जिस पर अदालत मातहत द्वारा जानबूझकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को मात्र लाभ पहुॅचानें की नियत मात्र से वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया जाना प्रथम दृष्टया ही साबित होता है, क्योंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि आवंटन नियमों में

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन हेतु प्रत्येक काश्तकार को पृथम–पृथक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना अपरिहार्य है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि के आवंटन की मांग की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से स्माल पेच आंवटन नियमों के विपरीत है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा बतौर स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित तहसीलदार द्वारा चिपते काश्तकारों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उक्त रिपोर्ट में अपीलांट के अतिरिक्त अन्य चिपते काश्तकारों के नाम अभिलिखित करते हुए प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की भूमि भी चिपते हुए बताई गई थी। जबकि अपीलांट व उसके भाई महावीर को चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/19 में ही 22 बीघा भूमि आवंटित है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् की वरियता होने व अपीलांट का आवेदन पत्र पैण्डिंग रहते हुए भी अपीलांट् को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया गया है। जबकि स्माल पेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि–धारकों को ही प्रथम वरियता के आधार पर भूमि आवंटन के प्रावधान निहित होने के कारण अपीलांट को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट् व अन्य काश्तकारों को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 जिनकी भूमि मुरब्बा नम्बर 65/28, 65/29, 65/36 व 65/30 में निहित है व कई मुरब्बें छोड़ कर स्थित होने पर भी वादग्रस्त भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन इस आधार पर किया गया है कि आवेदित भूमि के मुरब्बे के आवंटि मूलाराम पुत्र हुक्माराम जाति जाट निवासी 8 डीकेडी ने प्रार्थीगण को भूमि आवंटन करने के पक्ष में अपना सहमति पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट् द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में आवंटन हेतु किसी प्रकार का कोई सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपीलांट के नाम का सहमति पत्र एक फर्जी दस्तावेज हैं जिसकी जॉच हेतु संबंधित पुलिस थाना व पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग बीकानेर में शिकायत की जा चुकी है। जोकि पृथम से जॉच का विषय है। चूंकि स्माल पेच हेतु आवंटन योग्य/उपलब्ध भूमि अपीलांट् के धारण के मुरब्बें में निहित भूमि है ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। अपीलाधीन आदेश की पालना में यदि वादग्रस्त भूमि के मौके पर रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 व 3 काबिज हो गये तो अपीलांट् को अपूरणीय क्षति कारित होगी तथा अपील का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि वाके चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/19 के किला नम्बर 20 ता 22 तादादी 03 बीघा कमाण्ड भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2008 पेज 1347 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा सर्वप्रथम प्राथमिक आपत्ति पर बहस करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–02–2022 को पारित किया गया था जिसके विरूद्व अपीलांट् द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् अपीलाधीन आदेश से किसी प्रकार से व्यथित पक्षकार नहीं है क्योंकि अपीलांट् बावजूद सूचना अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित नहीं आये है। अपीलांट् द्वारा अपील के साथ इजाजत् प्राप्त करने हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। जोकि एक अत्यावश्यक प्रावधान है। ऐसीस्थिति में बिना 96 सीपीसी प्रार्थना पत्र के अपीलांट् को अपीलाधीन आदेश से व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता है। कानूनन अपीलांट् की अपील मेंटेनेबल नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1993 पेज 44, आरआरडी 1993 पेज 232, आरआरटी 2012 पार्ट I पेज 374, आरआरटी 2021 पार्ट I पेज 19 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट् द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–03–22 के विरूद्व अपील दिनांक 20–04–22 को प्रस्तुत की गई है। जोकि स्पष्ट रूप से मियांद बाहर अपील है। अपीलांट् द्वारा मियांद

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने के जो कारण बताये गये है वह वेग कारण है। अपीलांट को उक्त आवंटन की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है, क्योंकि अपीलांट् द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में अपना सहमति पत्र 100/– रूपये के स्टाम्प पर प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट् को उक्त सहमति पत्र पर आपत्ति भी थी तो वह आवंटन से समय ही अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि दिनांक 19–04–22 को अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने स्माल पेच आवंटन प्रार्थना पत्र पर की जाने वाली कार्यवाही का पता करने गया तब उसे रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 व 3 के आवंटन की प्रथम जानकारी प्राप्त हुई, जबकि वास्तविक स्थिति यह है कि अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया है। अपीलांट् द्वारा जानबूझकर अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट् द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र में किये गये कथन आधारहीन, मनगढ़त व मिथ्या होने के कारण अपीलांट् की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2012 पेज 641, आरएलडब्ल्यू 2005 पार्ट II पेज 105, आरएलडब्ल्यू 2005 पेज 543 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि चक चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/19 के किला नम्बर 20 ता 22 तादादी 03 बीघा कमाण्ड भूमि के बतौर स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा नियमानुसार संबंधित तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्राप्त करने व अन्य किसी चिपते काश्तकार द्वारा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने व उसी मुरब्बें में धारित भूमि के काश्तकार मूलाराम पुत्र हुक्माराम द्वारा अपनी सहमति प्रस्तुत करने स्थिति में वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया गया है। आवंटन पश्चात् रेस्पोडेन्ट्स द्वारा तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाते हुए मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है तथा वादग्रस्त भूमि का इंतकाल भी रेस्पोडेन्ट्स के नाम से जरिये नामान्तरणकरण संख्या 70 दिनांक 21–03–22 दर्ज हो चुका है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि के बाबत् तमाम अधिकार रेस्पोडेन्ट्स को प्राप्त हो चुके है। ऐसीस्थिति में प्रथम दृष्टया

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित नहीं होता है। यदि अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित की गई तो रेस्पोडेन्ट्स को उनके विधिक अधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। जिसकी अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट्स को कारित होगी। अतः अपीलांट् का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2016 पार्ट I पेज 185 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों को सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत द्वारा दिनांक 08–03–22 को पारित अपीलाधीन आदेश जिसके माध्यम से रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 के पक्ष में वादग्रस्त भूमि चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/19 के किला नम्बर 20 ता22 तादादी 03 बीघा भूमि का आवंटन बतौर स्माल पेच किया गया है, से व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपीलाधीन आदेश की पालना स्थगित रखे जाने की इस्तदुआ की गई है।

प्रकरण में सर्वप्रथम जहाँ तक विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति कि अपीलांट् अदालत मातहत के समक्ष पक्षकार नहीं था ना ही उनके द्वारा बतौर तृतीय पक्षकार अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्राप्त करने हेतु धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील मेंटेनबल नहीं होने का कथन किया गया है। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि जिसका आवंटन रेस्पोडेन्ट्स संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया गया है, उक्त भूमि चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/19 में निहित है, चूंकि अपीलांट् उसी मुरब्बे में धारित भूमि का काश्तकार है, जिसे बिना नोटिस अथवा सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2019 पार्ट II में अभिलिखित किया गया है कि:– **Section 96 – Aggrieved person can file the appeal directly without filing the application under section 96 CPC.,** इसी प्रकार आरआरडी 2016 पेज 693 में अभिलिखित किया गया है कि:–**As per judgment of this Hon'ble Board, even there is no need for filing of Section 96 CPC application and any party may**

file the appeal directly claiming to be the affrieved person or affected party., अतः उपरोक्त नजीरों के प्रकाश में रेस्पोडेन्ट्स की धारा 96 सीपीसी पर प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को खारिज किया जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक अपीलाधीन आदेश जोकि दिनांक 08–03–22 को पारित किया गया है के विरूद्व अपील दिनांक 20–4–2022 को प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा मियांद प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए अपीलांट् की अपील के साथ प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र आधारहीन, मनगढ़त व झुठे कथनों पर आधारित होने के कारण निरस्त फरमाया जावे। इस संबंध में हमने अपीलाधीन आदेश व पत्रावली के साथ संलग्न/प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–03–2022 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 20–04–2022 को पेश की गई है। अपीलांट् द्वारा अपील प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अवधि 30 दिवस के उपरान्त 13 दिवस के बाद उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उन्हें सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 19–04–22 को प्राप्त हुई जब वह अपने आवंटन प्रार्थना पत्र की जानकारी प्राप्त करने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ, इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में अपना सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया था ऐसी स्थिति में अपीलांट् को प्रारम्भ से ही उक्त आवंटन की जानकारी प्राप्त थी। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स द्वारा वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज के दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है परन्तु वादग्रस्त भूमि पर कब्जे काश्त के संबंध में कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया गया। चूंकि न्यायालय के समक्ष आराजी जैर के मौके की स्पष्ट स्थिति (आज दिनांक) उपलब्ध नहीं होने व अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित होने के कारण अपील में हुए 13 दिन के विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

चूंकि प्रस्तुत मामलें में चूंकि धारा 96 सीपीसी व मियांद के बिन्दु को ऊपर वर्णित पैरास में अभिनिर्धारित/निर्णित किया जा चुका है तथा उभय पक्षों द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र के साथ–साथ गुणावगुण

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

के बिन्दु पर भी अपना मत व्यक्त कर दिया गया है व प्रकरण में अदालत मातहत की तमाम पत्रावाली की प्रमाणित व सभी हितबद्व पक्षकार न्यायालय के समक्ष उपस्थित आ चुके है, ऐसी स्थिति में प्रकरण का निस्तारण स्थगन प्रार्थना पत्र के स्थान पर गुणावगुण पर किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत होने से प्रकरण का निस्तारण इसी स्तर पर किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के मुरब्बे में निहित होने के कारण आवंटन की प्रथम वरीयता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस अथवा सूचना व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 को किया गया है। इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में सर्वप्रथम रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 14–02–2022 को वादग्रस्त भूमि चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/19 के किला नम्बर 20 ता 22 तादादी 30 बीघा कमाण्ड भूमि के आवंटन हेतु एक ही प्रार्थना पत्र मय एक ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम यह देखा जाना है कि क्या एक भूमि के आवंटन हेतु दो काश्तकारों द्वारा सम्मलित रूप से आवेदन/शपथ पत्र किया जा सकता है अथवा नहीं? इस संबंध में कानून की यह मंशा है कि कोई भी काश्तकार जो भूमि आवंटन करवाना चाहता है, उन सभी काश्तकारों को भूमि आवंटन हेतु पृथक–पृथक आवेदन किया जाना अपरिहार्य है। एक या एक से अधिक काश्तकार द्वारा एक ही आवेदन पत्र पर भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर काश्तकारों की वरियता का निर्धारण, कब्जे काश्त की भूमि, सिलिंग सीमा का निर्धारण पृथक–पृथक नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्यसा 2 व 3 के सम्मिलित प्रार्थना पत्र पर भूमि आवंटन किया जाना स्पष्ट रूप से आवंटन नियमों के विपरीत है।

जहॉ तक वादग्रस्त भूमि के आवंटन के गुणावगुण का प्रश्न है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष स्माल पेच आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए वादग्रस्त भूमि चक 2 पीकेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 65/19 के किला नम्बर 20 ता 22 तादादी 03 बीघा कमाण्ड भूमि के आवंटन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

की मांग की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट अंकित की गई। जिसके अनुसार मुरब्बा नम्बर 65/19 के काश्तकार अपीलांट् व महावीर पुत्र हुक्माराम के साथ ही अन्य काश्तकार पतराम पुत्र जीवणराम, फूसराम पुत्र जीवणराम, मासूक पुत्र अल्लादिवाया, नानूराम पुत्र जीवणराम, रामनाराण पुत्र हुक्माराम, शिवनारायण पुत्र बनवारीलाल, लिछमादेवी पत्नी सुखराम, मन्जूदवी पत्नी साहबराम, आदि को चिपते काश्तकार होने का उल्लेख किया गया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट व अन्य किसी भी काश्तकार को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। अपीलांट् जोकि उसी मुरब्बें में धारित भूमि का काश्तकार है, जिसे किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2008 पेज 1347 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:–

Rajasthan Colonisation (Allotment and sale of Govt. Land in Indira Gandhi Canal Area) Rule, 1975 – Ru;e 14 – Allotment of land – Small patch of land allotted to respondent no. 4 but he had no agricultural field adjacent to allotted land – No notice given by respondent no. 3 to those persons who are attached to the allotted land – Held, Order of allotment is set aside & matter remanded to SDO to decide the matter of allotment afresh after giving notice to petitioners.

लिहाजा अदालत मातहत द्वारा तामील की प्रकिया की समुचित पालना किये बिना ही मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को वादग्रस्त भूमि के आवंटन किये जाने की मंशा प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। उक्त भूमि स्माल पेच के रूप में विक्रय योग्य घोषित की गई है, तो स्माल पेच आवंटन नियमों के तहत उसी मुरब्बें में निहित/धारित काश्तकार को विधिवत नोटिस जारी करते हुए उनसे आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुए वादग्रस्त भूमि का आवंटन बतौर स्माल पेच किया जाना चाहिए था। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा न्यायालय के समक्ष अदालत मातहत के समक्ष वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 25–02–2022 की प्रति प्रस्तुत की गई। जिससे साबित होता है कि अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

प्रकरण में जहाँ तक विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स का यह कथन कि अपीलांट् द्वारा रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में अपना सहमति/शपथ पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर ही उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट्स के पक्ष में किया गया है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांट् द्वारा ऐसा कोई सहमति पत्र अदालत मातहत के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया है, वरन् अपीलांट् द्वारा रेस्पोडेन्ट्स व स्टाम्प विकता के विरूद्व संबंधित थाने व पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, बीकानेर में इस बाबत् शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए उनके विरूद्व कार्यवाही किये जाने का कथन किया जा चुका है। अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के आंवटन हेतु अपना सहमति/शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है अथवा नहीं? यह पृथक से संबंधित थाने/विभाग के जॉच का विषय है।

प्रकरण में आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन अनियमितता बरतते हुए किया गया है– चाहे उक्त आवंटन कितना भी व्यवहारिक व सदेच्छा से किया गया हो, या उक्त आवंटन डीएलसी रेट से किया गया हो, परन्तु अदालत मातहत का उक्त कृत्य उनके द्वारा अपनाई गई प्रकिया को दूषित व दुराभिसंधि को प्रकट करता है। हमने पत्रावली एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया तथा यह निष्कर्षित हुआ कि आवंटन अधिकारी का कार्य भले ही सद्भाविक हो किन्तु वह न्याय की दृष्टि से अधिकार ब्राह होने से नियम विरूद्व व अपारदर्शी श्रेणी का है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, पूगल का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–03–2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर